प्रेस विज्ञप्ति

04.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स व्यूनो ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित धन-शोधन जांच के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 30.01.2026 को 19.10 करोड़ रुपये मूल्य का एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है।

गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस और पंजाब पुलिस द्वारा बी.एन.एस., 2023 के प्रावधानों के तहत दर्ज विभिन्न एफ.आई.आर. के आधार पर ई.डी. ने जांच शुरू की।

जांच के दौरान पता चला कि व्यूनो ग्रुप के सीईओ और संस्थापक सुखविंदर सिंह खरौर ने अन्य आरोपियों/संस्थाओं के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपये के 'क्लाउड पार्टिकल घोटाले' को अंजाम दिया, जिसमें आम जनता (निवेशकों) की गाढ़ी कमाई को आरोपियों ने अपने निजी लाभ के लिए निकाल लिया। क्लाउड पार्टिकल का अंतर्निहित व्यवसाय, जो बिक्री और लीज़ मॉडल पर आधारित था, असल में मौजूद ही नहीं था और निवेशकों को धोखा देने के लिए इसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था। यह भी पता चला है कि डेटा सेंटर के ग्राहकों से कोई किराया राशि या महत्वहीन राशि प्राप्त नहीं होती है क्योंकि व्यूनो ग्रुप का पूरा व्यवसाय केवल एक मनी रोटेशन स्कीम पाया गया।

क्लाउड पार्टिकल्स की बिक्री के बदले निवेशकों से एकत्रित कुल धन 3700 करोड़ रुपए (लगभग) पाया गया, जिसमें से 1800 करोड़ रुपए (लगभग) निवेशकों को किराए के रूप में वापस कर दिए गए और शेष अपराध से प्राप्त आगम (पीओसी) का उपयोग व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया और मेसर्स वीएमएसएल और समूह की कंपनियों द्वारा चैनल भागीदारों को उच्च कमीशन देने, विभिन्न विलासितापूर्ण वाहनों, सोने और हीरे की खरीद, शेल संस्थाओं के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये के धन के रूटिंग और संपत्तियों में निवेश के लिए आगे बढ़ाया गया।

जांच के दौरान, 19.10 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों, सावधि जमा और सूचीबद्ध शेयरधारिता के रूप में पीओसी (पहले से संलग्न/जब्त की गई चल/अचल संपत्तियों के अलावा) की पहचान की गई। अचल संपत्तियां सुखविंदर सिंह खरौर, मेसर्स व्यूनो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, नितिन श्रीवास्तव और उनकी पत्नी रुचि श्रीवास्तव और व्यूनो ग्रुप के अकाउंटेंट विजय झा के परिवार के सदस्यों की हैं, जबकि शेयरधारिता सुखविंदर सिंह खरौर और डिंपल खरौर की है।

इससे पहले, 06.02.2025 की तारीख के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से बैंक बैलेंस, वाहन और अचल संपत्तियों के रूप में लगभग 178.12 करोड़ रुपये की पीओसी (POC) कुर्क की गई थी और 14.08.2025 को तलाशी अभियान के दौरान 73.72 करोड़ रुपये की पीओसी (POC) भी फ्रीज की गई थी। जांच के दौरान, आरोपी सुखविंदर सिंह खरौर और डिंपल खरौर को 28.02.2025 को गिरफ्तार किया गया था और आरिफ निसार को 24.02.2025 को गिरफ्तार किया गया था और सभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इसके बाद उनके और उनकी संबंधित संस्थाओं के खिलाफ 24.04.2025 को पीएमएलए (PMLA) विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी।

आगे की जाँच जारी है